ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-2*March (Supplementary Issue)-2018
Innovation The Research Concept

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विश्लेषणात्मक अध्ययन

मोहनलाल गढ़वाल
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति शास्त्र विभाग,
वीर सावरकर शासकीय
महाविद्यालय, औवेदुल्लागंज,
रायसेन, म.प्र.

सारांश

महिला सशक्तिकरण की दिशा में वदलाव समय के अनुसार प्रायः देखने को मिल रहे है। आज का युग पुरूष महिलाओं का ना हो कर देश में सभी विना किसी भेदभाव जिससे अपनी योग्यता का प्रतिफल प्राप्त हो सके जिस प्रकार महिला परिवार का पालन पोषण कर सफल संचलन में सहयोग प्रदान करती है। ठीक वेसे ही उसकी शैक्षणिक योग्यता क्षमता मानसिक विकास आदि के फलस्वरूप विश्व की प्रथाम प्रधानमंत्री भंण्डार नायके एस वी आई चीफ अनरूती भटटा चार्य आई सी सी आई वैंक चीफ चन्द्रां कोचर जर्मनी चंसलर मास्कएलो समाज व देश में आज स्वंय निर्णय लेने में सक्षम हैं। महिलाओं को सशक्त वनाना देश और समाज को मजवुत वनाना हैं उसे शिक्षा का अधिकार एवं सर्वागींण विकास मिले तो वह परिवार समाज ही नही देश और विश्व का सफल संचालन एवं निर्णय लेने में सक्षम होगी एवं आत्मनिर्भर वन सकेगी महिला आरक्षण भागीदारी का अच्छा माध्यम ना हो कर इन्हे व्यवस्थापिका में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके बल्कि घर की चार दिवारी से ग्रामीण और दुर दराज के क्षेत्रो में स्वंय निर्णय ले सके जिससे वे आत्म निर्भरता के साथ–साथ देश का पथ प्रदर्शक का कार्य भी कर सकती है। अतः उसका समुचित विकास आर्थिक आत्म निर्भरता समाज की सोच को समय के साथ–साथ वदलना आवश्यक है। भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र शेष नहीं है। जहा महिलाओं ने अपना कार्या में महत्वपुर्ण योगदान ना दिया हो।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, देश और समाज

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें योग्यता प्राप्त होने के उपरान्त महिला अपने जीवन के विभिन्न अच्छे बुरे आदि के बारे में स्वयं निर्णय कर सके।

अध्ययन का उददेश्य

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता वर्तमान समय में आवश्यक क्यो है। महिला सशक्तिकरण से परिवार वा समाज का आर्थिक समाजिक विकास सम्भव है। महिला सशक्तिकरण उदारीकरण के योग में महगाई । गरीवी दुर कर षेक्षणीक विकास के आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण द्वारा देश और समाज का सर्वागीण विकास सम्भव है।

महिलाओं में क्षमता वर्तमान समय मे पुरुषों से ज्यादा है वह विश्व व भारत देश में पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। महिलाये परिवार और समाज के बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वयं निर्णय ले कर वह अपना भविष्य का निर्माण करती है।

व्यक्तिगत स्वंतत्रता निजी स्वतंत्रता स्वयं के फैसले लेने के लिये महिलाओं के राजनीति समाजिक आर्थिक आदि क्षेत्रों में अधिकारों को प्रदान करना महिला सशक्तिकरण हो सकता है। परिवार और समाज से आगे सोचना मात्र पुरुष वर्ग का ही नहीं महिलाओं का भी अधिकार है। भारतीय नारी प्राचीन काल में कैकई ने राजा दशरथ के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में गई थी। मुगल कालीन शासन में स्त्रीयों को पर्दा प्रथा आदि होने के कारण घरों के अंदर कैद होना पड़ा, कम उम्र में बाल विवाह किये जाने लगे सती प्रथा बहु विवाह प्रथा आदि बढ़ गई थी। समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, राजाराममोहन राय, ज्योतिराव फूले आदि ने स्त्री शिक्षा एवं उनके अधिकारों पर बल दिया राजाराम मोहन राम ने सती प्रथा को बिलयम वेटिंग के समय कानून द्वारा समाप्त कराया।

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ की बैगम हरजत महल, गाडवाना रानी दुर्गावती देवी, अहिल्या बाई आदि मे नाम हमें

पहले के समय महिला शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। महिलाओं को अधिकार प्रदान करना जिसमें एवं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कर सके समाज व राजनीति क्षेत्रों में महिलाओं को स्थान आरक्षित किये गये है। शासकीय सेवा में महिलाओं को 33 प्रतिषत पद प्रदान किये गये है।

समाज के सभी क्षेत्र पहले पुरुष प्रधान समाज का दबदबा मात्र था आज महिला शक्ति कृषि प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। परिवार एक बच्ची शिक्षित होगी तब वह माता–पिता के घर के साथ अपने ससुराल पक्ष को भी शिक्षित आसानी से कर सकेगी। समाज परिवार देश को आगे बढ़ाने हेतु महिला सशक्तिकरण की नितान्त आवश्यकता बनी है। महिलाओं को स्वच्छ अच्छा पर्यावरण की आवश्यकता है। जिससे वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने फैसले स्वयं ले सके, देश समाज परिवार अन्य क्षेत्रों मे महिलाये निर्णय लेने में सक्षम है। देश को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि हमारे राष्ट्र कर आधी आबादी (महिलाओं) आत्म निर्भर व्यक्तिगत निर्णय होने में सक्षम होना जरुरी है। जिसे पूरा करना महिला सशक्तिकरण का अच्छा कदम होगा।

हमारे भारत में संविधान द्वारा समानता के अधिकार की व्याख्या की गई है। कानून की नजरें में स्त्री पुरुष को समान कार्य हेतु समान वेतन प्राप्त होता है। भारत में महिलाओं बच्चों के अच्छे विकास के लिये 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में कार्य करने की पाबंदी है। खनन व भारी औद्योगों में महिलाओं से कार्य नहीं कराया जाता है।

वैदिक काल में महिला पुरुष के साथ धार्मिक कार्यों यज्ञ हवन में भाग लेती थी। बिना पत्नी के धार्मिक अनुष्ठान अष्वमेघ यज्ञ व्यर्थ माने जाते थे। भगवान श्री राम जी द्वारा अष्वमेघ यज्ञ किये जाने पर वनवास गई सीता जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। महिलाओं अपने वर की तलाष में स्वयंवर रखा जाता था। राजकुमारी अपने मनपसंद के राजकुमार को वरण कर सकती थी। सीता स्व. स्वंवर उमा–षंकर विवाह, पृथ्वी राज योहान संयोगिता इसके उदाहरण है।

महिलाओं केन्द्र व राज्य सरकारें स.राष्ट्र.संघ के चार्टर द्वारा महिलाओं को लोकतांत्रिक देशों मे शिक्षा सम्पति आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर कराये जाने की बात की जा रही है। निशुल्क शिक्षा प्रोत्साहन योजना गांव की बेटी योजना ग्रामीण छात्राओं, हेतु प्रतिभा किरण आदि योजना शहरी छात्राऐं हेतु, बालिका शिक्षा उसका विकास महिला सशक्तिकरण का मार्ग उन्मुख करती है।

हिन्दू विवाह अधिनियम द्वारा लड़कियों की शादी की आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल विवाह पर रोक लगाई गई है। वेटी की शिक्षा उसका व्यक्तिगत विकास, उच्च शिक्षा आदि प्रदान होगी तब वह राष्ट्र की विकास की भागीदारी में अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान करेगी।

भारत में महिलायें घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी उनका दायित्व बच्चे और घर की देखभाल करने तक ही निष्चित था। वह अपने अधिकार विकास से कोसों दूर थी। महिलाओं को सशक्तिकररण बनाना तात्पर्य पूर्ण जनसंख्या को 100 प्रतिषत आत्मनिर्भर बनाने जैसा है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा उत्पीड़न, महिला अपराध की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। देश में अलग–अलग स्थानों पर महिला लिंगानुपात कम होने के कारण अपराध ज्यादा बढ़ रहे है। मात्र कानून बना भर लेने से महिला सशक्तिकरण महिला अपराध रोके नहीं जा सकते है। राष्ट्र के विकास समाज के महिलाओं के अधिकारों के बारे मे जागरुकता लाने के लिये, कई राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रमों न्यायिक अधिकार आदि की जानकारी प्रदान कर रही है।

नारी सशक्तिकरण तभी सही रुप से सफल होगा उन्हे शैक्षणिक व सर्वांगीण विकास हो उन्हें मात्र कन्या धन न कहकर राष्ट्र धन कहा जाना उचित होगा। क्योंकि हर देश में महिलाओं ने अपनी शक्ति संयम शालीनता द्वारा प्रसिद्ध पाई है।

विश्व की प्रथम प्रधान मंत्री श्री लंका की भण्डारनायके, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदरा गांधी, ब्रिटेन की माग्रेट थेचर जर्मनी या चांसलर, माकेल्स, अमेरिकी विदेश भंग, श्रीमती हिलेरी हिलंटन, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, स. राष्ट्र संघ में विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृतकोर, प्रथम आई.ए.एस. अन्नाजार्ज आई.पी.एस. किरण वेदी, एवरेस्ट पर फतेह करने वाली बछेन्द्री पाल, ओलपिंक में 1 सेकेण्ड से पिछड़ने वाली धावक पी.टी. उषा, इंगलिष चेनल पार करने वाली आरती शाह, भोपाल आई.ए.एस. अजीता वाजपेयी, आई.पी.एस. आषा गोपालन एस.पी. के नाम अभूतपूर्ण है।

भारत में अशिक्षित वर्ग की महिलायें प्राथमिक क्षेत्र कृषि में मिलकर कार्य करती है। भारत में कन्या का जन्म लेना गलता माना जाता था। राजस्थान हरियाणा, आदि में जन्म के समय कन्या कर हत्या कर दी जाती थी। पेथोलॉजी चिकित्सीय मषीन द्वारा भ्रूण हत्या को रोकने के लिये सरकारों द्वारा कानून बनाये गये, परन्तु उसका अमल तब ही सम्भव है राज्य सरकारें अधिकार जागरुकता द्वारा उनका विकास में सहभागिता प्रदान करें। राष्ट्रीय मिषन 2011 महिला सशक्तिकरण से कुछ सुधार हुआ है। महिला लिंगानुपात व शिक्षा दोनों ही बढ़ी है।

देश में लिंगानुपात संकुलन बनाये रखना, आर्थिक भागीदारी, प्राथमिक, उच्च शिक्षा, निषुल्क स्वास्थ्य की सभी मूलभूत सुविधायें आदि प्रदान की जा रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरु द्वारा जनता को जागरुक होना आवश्यक है। महिला एक बार अच्छा कदम उठाती है। परिवार, ग्राम, समाज राष्ट्र का विकास होता है।

वर्तमान समय में ग्रामों में समूह योजना के द्वारा महिलायें स्वावलम्बन आर्थिक विकास में आगे बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में उनकी भागीदारी बढ़ी है। महिला आरक्षण विल में 108 वां संषोधन संसद में 33 प्रतिषत भागीदारी पास नही हों पाया है। अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिष्चित करने के लिये स्थान आरक्षित किये गये है।

केन्द्र और राज्य सरकार की महिलाओं के प्रति कल्याण कारी विकास वाली योजनाओं व उनके अधिकार

कैसे प्राप्त करें। ग्राम परिवार निचले स्तर से जागरुक करना होगा। जिससे उनका भविष्य अच्छा बन सके।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता लैगिक असमानता पुरुष प्रधान समाज द्वारा घर की चार दीवारी तक सीमित रखना, महिलाओं को परिवार और माता–पिता द्वारा शिक्षा से रखना घरों में 7 से 14 वर्ष बच्ची का लालन पालन ठीक से नही किया जाता है। बालक–बालिका में भेदभाव किया जाता था, पहले मत देने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड में 1918 से स्त्री को मताधिकार प्रदान किया था। भारत में शिक्षित महिला नगरीकरण महगाई आदि द्वारा घर से बाहर निकली, वर्तमान में वह सेना में अधिकारी चिकित्सक, रेल पायलट, पुलिस सेवा सी.आर.पी.एफ. अधिकारी का कार्य पूर्ण जिम्मेदारी से पूर्ण कर रही है।

कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिये समान वेतन भुगतान अधिनियम 1976, दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, मेडिकल टम्नेषन ऑफ प्रेग्नेसी अधिनियम 1987, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम 1994, महिलाओं पर परीक्षण निषेध अधिनियम 1994, महिलाओं पर कार्यस्थल यौन शोषण अधिनियम 2013 आदि बनाये गये है।

हमारे वर्तमान समाज में महिला पुरुष में भेदभाव कम हुआ है। महिलायें पुरुषों के साथ अपने परिवार के आर्थिक विकास भागीदारी कर रही है। पितृ प्रधान समाज के वाद महिला शवित का आगे बढ़ना आज के समय अनिवार्य आवश्यकता है। महिला शिक्षित होगी तभी देश शिक्षित होगा। एस.बी.आई. प्रमुख अधिकारी अधुरति भट्टाचार्य, आई.सी.सी.आई कोचर, राजनीति में मायावती, ममता बैनर्जी, वृद्धा कारन, वसुन्धरा राजे, कांग्रेस की संचालक, श्रीमती सोनिया गांधी महिलाये अपने कार्य मेहनत लगन है कारण आगे बढ़ी है।

अब महिला सशक्तिकरण केन्द्र राज्य सरकार के कार्यक्रम के चलाने मात्र से पूर्ण करना सम्भव नहीं है। पुरुष प्रधान समाज को अपने घर की बेटी बहु माता पत्नी जो कि अलग–अलग रुपों में समाज का विकास करती है। किसी पुरुष के आगे बढ़ने विकास करने को उनके परिवार के किसी महिला सदस्य का सहयोग रहता है। भारतीय समाज में नारी देवी की अराधना की जाती रही है। परन्तु नारी रुपी देवी किसी न किसी रुप में स्वतंत्रता पूर्ण अपना निर्णय पति पुत्र पिता की सहमति लेती रही है। वर्तमान समय में 21वी शदी विज्ञान का युग है। मनुष्य अपने संसार रुपी आयु 63 में 70 तक कार्य करता है।

अतः आप समाज राष्ट्र में आगे बढ़ाने के लिये महिलाओं को विकास आत्मनिर्भर स्वतंत्रता आदि प्रदान करना आवश्यक है। जिससे वह स्थानीय निकाय में प्राप्त आरक्षित स्थान से नहीं बल्कि, अपने लगन मेहनत कार्यषैली आदि के द्वारा कल्पना चावला, सुनीता विलयम्स आदि जैसे कार्य कर सकती सभी क्षेत्र में जिसमें आत्मनिर्भरता विकास जनसंख्या का 50 प्रतिषत आबादी करेगीं तब ही महिला सशक्तिकरण एक महत्वूर्ण कदम माना जायेगा।

सरकारी आकड़ों के अनुसार जन्म लेने वाली कन्यायें 100 में 62 ही प्राथमिक विद्यालय में नाम पंजीकृत कराती है। 30 प्रतिषत मिडिल तक पढ़ पाती है। 35.3 प्रतिषत माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाती है। सी.बी.एस.ई. में छात्रायें जरुर बाजी मारती है। यह महानगरों, विश्वविद्यालय कालेज तक नगरों तक ही सीमित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चशिक्षा आज भी बालिकाओं से कम है, 7 प्रतिषत मात्र विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर पाती है। स्त्री शिक्षा का आर्थिक सामाजिक कारण संसाधनों की कमी भी है। भारत में गावों की संख्या 5,47,672 है। 48,566 गांवों में एक भी प्राथमिक विद्यालय नही है। 16,7,383 ग्रामीण स्कूलों में आवश्यकतानुसार शिक्षक नहीं है। इतने कम विद्यालयों बालिका शिक्षा तो दूर बालक शिक्षा कठिन है। संसाधनों की कमी के चलते 10 वर्ष के अंदर 73.78 प्रतिषत पढ़ाई छोड़कर घर में सिमटकर रह जाती है।

पंचायती राज में 10 लाख महिलायें चयनित हुई यह विश्व रिकार्ड है। 1918 में इंग्लैड मत का अधिकार प्रदान किया गया। दो वर्ष वाद 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में मताधिकार दिया गया। हमारे समाज में महिलाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति में अभूतपूर्ण योगदान दिया वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 50 प्रतिषत आबादी महिला अपने लिये सुविधायें महिला अधिकार आरक्षण सत्ता में भागीदारी मांगती रही हैं। आजादी के लिये महिलायें जिनमें एनीवेसेंट, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, मेडम भीकामी कामा, इंदरा गांधी आदि नाम है।

विश्व में महिला आंदोलन विभिन्न प्रकार के अधिकार दिये जाने की बाते की जाती रही है। महिला सशक्तिकरण वर्ष मना चुके ह। उनकी राजनीति में उपस्थिति न तो सत्ता में भागीदारी कम है। महात्मा मनु के मनुस्मृति द्वारा यत्र नार्यस्तु पुज्ययन्ते रमन्ते तंग देवा, अर्थात देवता वही निवास करते है। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है। प्राचीन समय में उन्हें विषिष्ट स्थान था सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। समाज में सुख समृद्धि सम्पन्नता विधा, धन, शक्ति यह मातृ देवी सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा (काली) धार्मिक आधार मानी जाती है।

राजनीति में महिलाओं समान भागीदारी के लिये 1997 में अंतर संसदीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, 77 देशों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिये सम्मेलन में महिलाओं की राजनीति भागीदारी सुनिष्चित करने के लिये प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया गया। विश्व में 50 प्रतिषत आधी आबादी में व्यवस्थापिकाओं में 11.7 प्रतिषत प्रतिनिधित्व मात्र है। विश्व में व्यवस्थापिकाओं 7 महिला स्पीकर है। भारत मे मीरा कुमार सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संसद में महिलाओं की भागीदारी में भारत 63 स्थान पर है। एषिया में 11वें स्थान पर है। चीन प्रथम है। 21 प्रतिषत महिलायें राजनीतिक पदों पहल 1/4 से भी कम है स्वीडन में 349 सांसदों में से 141 महिला सांसद है। वह 40.4 प्रतिषत महिलाओं की भागीदारी है। मोरक्को में महिला प्रतिनिधित्व सबमें कम 0.6 प्रतिषत है। इंग्लैण्ड स्थिति

ठीक नहीं है। अमेरिका में 11.7 प्रतिषत, इंग्लैण्ड 9.4 प्रतिषत, फ्रांस में 6.4 प्रतिषत रुस में 10.2 प्रतिषत राजनीतिक पदों पर महिला व्यवस्थापिका मे है। स्वीडन 40.4 प्रतिषत, नार्वे 39.4 प्रतिषत, डेनमार्क 33 प्रतिषत, आस्ट्रिया 26.8 प्रतिषत, जर्मनी 26.2 प्रतिषत दक्षिणी अफ्रीका 25 प्रतिषत की स्थिति संतोष जनक की जा सकती है।

देश		कुल स्थान	महिलायें	प्रतिशत
1	स्वीडन	349	141	40.4
2	नार्वे	165	65	39.4
3	फिनलैंड	200	67	33.5
4	डेनमार्क	179	59	33.0
5	हालैण्ड	150	47	31.3
6	न्यूजीलैंड	120	35	29.2
7	जर्मनी	672	176	26.2
8	स्पेन	350	86	24.6
9	चीन	2978	626	21.0
10	स्विटजरलैंड	200	42	21.0
11	कनाडा	295	53	18.0
12	आस्टेलिया	148	23	15.5
13	मैक्सिको	500	71	14.2
14	इंडोनेषिया	500	63	12.6
15	अमेरिका	435	51	11.7
16	फिलीपिन्स	203	22	10.8
17	रुस	450	46	10.2
18	सीरिया	250	24	9.6
19	इंग्लैड	651	62	9.5
20	बांग्लादेश	330	30	9.1
21	मलेशिया	192	15	7.8
22	इजराइल	120	9	7.5
23	फ्रांस	577	37	6.4
24	यूनान	300	19	6.3
25	जापान	500	23	4.6
26	मिश्र	454	9	2.0

लोक सभा में महिलाओ का प्रतिनिधित्व – (1952–1996)

वर्ष	कुलसीट	चुनाव हुये	निर्वाचित महिलायें
1	2	3	4
1952	489	479	22
1957	494	482	27
1962	494	491	34
1967	520	515	31
1971	519	518	22
1977	542	540	19
1984	542	507	44
1989	543	523	27
1991	543	543	39
1996	543	543	39

चुनाव आयोग रिर्पोट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हैंड बुक भाग 21

पंचायती राज परिदृश्य

ग्राम पंचायत

पंचायतों की संख्या	225000
पंचायत सदस्यों की संख्या	2250000
महिला सदस्यों की संख्या	750000
अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यो की संख्या	150000
पंचायत अध्यक्ष	225000
महिला पंचायत अध्यक्ष	75000
मध्यवर्ती स्तर	
प्रखंड समिति की समिति	5100
प्रखंड समिति सदस्य संख्या	51000
समिति में महिलाओं की संख्या	17000
समिति के अध्यक्ष	5100
समिति की महिला अध्यक्ष	1700
जिला स्तर	
जिला परिषद की संख्या	475
सदस्यों की संख्या	4750
महिला सदस्यों की संख्या	1583
जिला परिषद के अध्यक्षों की संख्या	475
महिला अध्यक्ष की संख्या	158

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास द्वारा तैयार फाइल 2011

वर्तमान समय में महिला आर्थिक, बौद्धिक, स्वतंत्रता जिसके द्वारा धन का उपार्जन व संरक्षण कर सके। यही उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार वन सकती है। महिलाओं को समाज में उचित प्रतिनिधित्व सम्मान प्राप्त हो उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी बनाकर आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। जिसमें वह पूर्ण आत्म विश्वास प्राप्त कर अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा योग्य कुषल महत्वाकांक्षी बन सके। देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान प्रदान कर सके।

कार्ल मार्क्स व एजिंल्स द्वारा स्त्रियों का उद्धार और उनकी पुरुषों से समानता तब तक असम्भव है जब तक उन्हें समाज के उत्पादकीय कार्यों से वंचित कर घरेलू कामों मे सीमित रख जाता है।

जब महिला आत्मनिर्भर रहेगी वह स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी क्षेत्र में स्वेच्छा पूर्ण भागीदारी कर सकती है। सामान्य कार्यकत्ताओं को साक्षात्कार में कुछ महिलाओं ने कहा काष वह आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर होती, तो पति की इच्छा न हो हये भी उन्हे सहमत करने का प्रयास करती एवं सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कार्यों में भाग लेती है। साम्यवादी नेता लेनिन पुरुषों के समाज प्रधानता समानता पूर्ण स्वाधीनता (मुक्ति) के लिये आवश्यक है। घरेलू क्रिया कलापों का समाजीकरण हो, सामान्य उत्पादन श्रम में महिलाओं की भागीदारी हो, तभी महिलायें उन समस्त अधिकारों का उपभोग कर सकेगी जो पुरुष प्रधान समाज करता आया है। महिला आत्मनिर्भर हो रोजगार के 50 प्रतिषत भागीदारी होना आवश्यक है।

महिलाओं की राजनीतिक रुप से क्रियाषील बनाना, स्वस्थ सकारात्मक सामजिक संरचना का विकास, आर्थिक आत्मनिर्भर, पारिवारिक दायित्वों को सहज बनाया जाये। समान समूचित शिक्षा की व्यवस्था, सोचने समझने का नजरिया बदलना आवश्यक है। पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की आवश्यकता राजनीतिक दलों महिला संगठन व स्वेच्छिक संगठनों का दायित्व उनकी क्रियाषीलता को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। भारत मे राजनीतिक कल और आज राजीतिककारी अभयकुमार दुबे वाणी प्रकाषन दिल्ली 2005।

निष्कर्ष

भारत एक विकासील देश है। समाज का ग्रह विभाग माता पत्नी वेटी को उचित शिक्षण विकास योग्यता अर्जन करने का समय मिलना आवश्यक है। धर्म जाती से ऊपर उठकर आज भारत की पचास प्रतिशत महिला जनसंख्या घर–वाहर आदि के फेसले पुरूष समाज आदि के दवाबा में ले लेती है। वर्तमान समय उदारी करण का है। भारत में महिलाए पुरूषो के समान रोजगार स्वरोजगार हर क्षेत्रो में स्वंय आत्मनिर्भर हो रही है। जिससे परिवार समाज और देश का विकास होगा वही देश में महिलाए षिक्षित योग्य होने से अर्थिक समाजिक रूप से सक्षम वनेगी। मेरे शोध पत्र बर्णनात्मक पद्धति को अपनाया है। समाज में महिला सशक्ति करण से परिवार तो शिक्षित होगा ही। भारत देश भविष्य में जापान चीन कोरिया अमेरिका आदि देशों से अर्थिक सम्पनता के मामले में आगे निकल जाएगा क्योंकि कल्पना चावला सुनिता विल्यमस आदि भी महिलाए थी । मजवुत दृढ इच्छा षक्ति पुरूष का सहायोग एक परिवार समाज का सशक्त निर्माण करता है। उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण प्रोत्साहन द्धारा देश और समाज का विकास आदि मजवुती प्रदान करेगा जो महिला सशक्तिकरण की दिषा में एक अच्छा करम होगा

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *भारतीय राजनीति और महिलायें, स्वप्निल सारस्वत निजी साहित्य से स्थान दिल्ली 2012.*
2. *लल किले के प्राचीर में प्रधान मंगीयों के भाष सं. आदित्य अवस्थी प्रवीण प्रकाषन दिल्ली 2009.*
3. *भारत में राजनीतिक में फूट एक सर्वेक्षण षिव बालक प्रसाद यूनिवर्सिटी पब्लिकेषन दिल्ली 2012.*
4. *आधी दुनिया और अपराध – डॉ. निषांत सिंह, साहित्य षिला प्रकाषन शाहदरा दिल्ली 2007.*
5. *महिला और कानून, प्रो. सरिता वाषिष्ठ कल्पना प्रकाषन दिल्ली 2010*
6. *विश्व एवं महिला न्याय–न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे प्रतिष्ठान, संपादक मुरलीधर चन्द्रकान्त भंडारे 2007*
7. *महिला कानून मीनाक्षी सिंह, महेन्द्र बुक कंपनी गुड़गांव हरियाणा 2013*
8. *सामाजिक सुरक्षा और महिलायें, खुषवंत सिंह, भूषण साहित्य केन्द्र दिल्ली 2012*
9. *महिला सशक्तिकरण, प्रो. सरिता वाषिष्ठ कल्पना प्रकाषन नई दिल्ली 2010*